महानगर
की प्रति प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।
(सुबह 10 से शाम 5 बजे)
मो. 8107288197

किराये के लिए

हीरापुरा बाईपास के पास सत्य कॉलोनी में पॉश

लोकेशन, 2 कमरे, लेटबाथ/किचन, बरामदा, बॉलकनी, अच्छी लोकेशन, शाकाहारी छात्रों के लिए किराये पर ग्राउंड फ्लोर में उपलब्ध है। सेपरेट एंट्रेंस।

संपर्क: 9413764079

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्याः** एस.एण्ड.टी./बी.के.एन/ईटी 72/17–18/12R; **कार्य का नाम व स्थानः** बीकानेर मण्डल के 32 स्टेशनों (रेवाड़ी–सादुलपुर–बीकानेर खंड) पर आर डी एस ओ द्वारा अनुमोदित ऑटोमैटिक फायर डिटक्सन एवं अलार्म सिस्टम का प्रावधान। **अनुमानित लागत मूल्य रू.:** 13987408/–; **बयाना राशिः** रू. 219940/–; **निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समयः** 18.10.17 को 15.00 बजे तक; **वेब साइट जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा व डाउनलोड किया जा सकता हैः** www.ireps.gov.in
855-AM/17
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

पाठकगण ध्यान दें। किसी भी विज्ञापनदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दावे/प्रस्तुतिकरण के लिए जयपुर महानगर टाइम्स जिम्मेदार नहीं है। अतः किसी भी विज्ञापन पर कार्रवाई से पहले जरूरी/संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
–प्रबंधक

क्लासिफाइड

संविदाकर्मी के मेडिकल अवकाश भी सेवाकाल में शामिल: हाईकोर्ट

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा पर लगे कर्मचारी की ओर से लिए गए मेडिकल अवकाश की अवधि की गणना उसके सेवाकाल में करने को कहा है। अदालत ने इस अवधि की गणना कर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्रकुमार स्वामी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संविदा के तौर पर रोजगार सहायक के पद पर काम कर रहा है। इस दौरान उसके कुल 103 दिन का मेडिकल अवकाश लिया है।

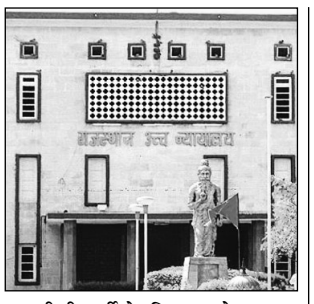

एलडीसी भर्ती के लिए उसने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन राज्य सरकार ने इन 103 दिन की गणना अनुभव काल के तौर पर नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 7(8) के तहत अवकाश की अवधि को भी सेवाकाल में माना जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मेडिकल अवकाश की अवधि को सेवाकाल में गणना करने के आदेश दिए हैं।

सीबीआई जांच का आदेश वापस लेने से इनकार

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत में मारटपीट के चलते हुई युवक की मौत के मामले की जांच सीबीआई को देने के पूर्व में दिए आदेश को वापस लेने से इनकार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेश कुमार की याचिका में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 16 मई को प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी थी। प्रकरण में राज्य सरकार की सबसे विश्वसनीय जांच एजेन्सी सीआईडी सीबी जांच कर चुकी है। इसके अलावा सीबीआई जांच के आदेश देने के दौरान सरकारी वकील की ओर से आपत्ति नहीं करने की बात भी गलत है। जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सीबीआई के पक्ष को नहीं सुनने को लेकर जब सीबीआई ने ही कोई आपत्ति दर्ज नहीं की तो राज्य सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

एसएमएस के चिकित्सक को तीन साल की सजा

महानगर संवाददाता

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने आपसी झगड़े में अस्पताल में भर्ती घायल को छुट्टी देने और आरोपी पक्ष के खिलाफ हत्या का प्रयास की धारा हटवाने की एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक रमाकांत सक्सैना को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सवाईमाधोपुर निवासी प्रभूलाल खटीक ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे कमलेश और पड़ोसी भवानी का झगड़ा हुआ था। जिसके चलते भवानी 5 जनवरी 2000 को एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ था। यहां तैनात अभियुक्त चिकित्सक ने भवानी को जल्दी छुट्टी देने और आरोपी पक्ष के खिलाफ धारा 307 हटवाने के बदले पांच हजार रुपए मांगे। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 20 जनवरी 2000 को एसीबी ने चार हजार रुपए के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

स्कूली छात्रों की सुरक्षा पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

केंद्र–राज्य सरकारों से मांगा जवाब

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्कूली छात्रों को यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश बनाने और उन पर अमल सुनिश्चित कराने के

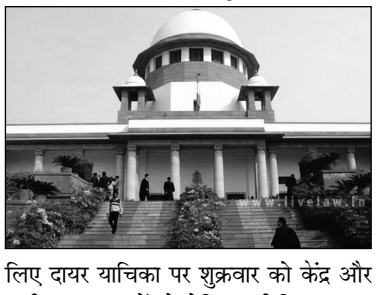

लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने महिला वकील आभा आर शर्मा और संगीता भारती की याचिकाओं पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए। इन सभी को तीन सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने हैं। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इन वकीलों की याचिका को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न के पिता की याचिका के साथ संलग्न कर दिया।

प्रद्युम्न की गुरुग्राम में रेयन इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। शीर्ष अदालत सोमवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के नौ वर्षीय छात्र अरमान सहगल की मृत्यु को लेकर दायर उसके पिता की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इस याचिका में अरमान की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। वकील सुजीता श्रीवास्तव के माध्यम से दायर जनहित याचिका में स्कूल की चाहरदीवारी के भीतर बार–बार छात्रों के शोषण और बाल यौन शोषण की हो रही घटनाओं का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्कूलों के लिए बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देने को अधिसूचित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में स्कूलों में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग सहित विभिन्न प्राधिकारियों के मौजूदा दिशा निर्देश उचित तरीके से लागू करने का अनुरोध किया गया है। दिशा–निर्देशों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल के लिए बाल संरक्षण नीति बनाना जरूरी है जो समझ में आनी चाहिए और सभी कर्मचारियों या नई भर्ती वाले कर्मिकों को बताई जानी चाहिए और उन पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए।

अपहृत नाबालिग को पेश करने के आदेश

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के नदबई थानाधिकारी को कहा है कि वह गत जून माह में अपहृत हुई नाबालिग युवती को बीस सितम्बर को अदालत में पेश करे। न्यायाधीश केएस अहलुवालिया और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश भूरी देवी की ओर से दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराए। इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। न्यायाधीश वीके व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश मोहनलाल नामा की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जान का खतरा सिर्फ एक बार ही पैदा होने वाला नहीं है। ऐसे में यदि पुलिस को एक बार शिकायत गलत पाई जाती है तो भी अगली शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि मोतीडूंगरी इलाके में रहने वाले याचिकाकर्ता ने आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने गत वर्ष जनवरी माह में उन पर हमला कर दिया। घटना को लेकर मोतीडूंगरी थाने में नामजद शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के दवाब के चलते याचिकाकर्ता कई माह तक घर से दूर रहा। ऐसे में याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

जलदाय घूसकांड: आरोपी का फ्लैट कुर्क करने के आदेश

महानगर संवाददाता

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जलदाय विभाग घूसकांड मामले में फरार चल रहे एसपीएमएल कंपनी के ऋषभ सेठी के कोलकात्ता स्थित फ्लैट को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। अदालत पूर्व में सेठी के दो बैंक खातों को सीज कर चुकी है। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आरोपी सेठी का पता नहीं चल पा रहा है। जांच में पता चला है कि उसका कोलकात्ता में एक फ्लैट है। ऐसे में उसकी इस संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए जाए।

सैन समाज का सम्मान समारोह आयोजित

महानगर संवाददाता

शाहपुरा। सैन महासंगठन त्रिवेणीधाम के तत्वावधान में मंगलवार को त्रिवेणीधाम स्थित रामचरित मानस भवन में 14वा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने 10वीं, 12वीं, स्नातक स्तर पर 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 200 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार आईएएस ऋतु सैन की ओर से 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 1100–1100 रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिया गया। इस मौके पर भामाशाह बोदीलाल सैन, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शोभाग गोठडिया, महासभा के अध्यक्ष महावीर सैन, उपाध्यक्ष मातादीन सैन, कोषाध्यक्ष बाबूलाल सैन, महामंत्री नाथूलाल शास्त्री, पत्रकार हीरालाल सैन, संरक्षक सूरजमल, रामजीलाल सैन, विनोद सैन, मालीराम सैन, दामोदर, कैलाश सैन सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे।

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि एक संपत्ति फ्लैट नंबर डी–9, सैकिंड फ्लोर, अपोलो अपार्टमेंट, सैक्टर नंबर 3, विद्याधरनगर, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1134.00 वर्गफीट के स्वामित्वाधिकार श्री राजेन्द्र सिंह नरूका के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारिसान् श्रीमती भारती, श्रीमती कीर्ति कंवर, श्रीमती प्रीति एवं श्री सौरभ नरूका को प्राप्त हुए थे। अब श्रीमती भारती, श्रीमती कीर्ति कंवर, श्रीमती प्रीति एवं श्री सौरभ नरूका से उक्त वर्णित संपत्ति को मेरी अभिभाष्या श्रीमती सरिता बंसल क्रय कर रही हैं तथा उक्त क्रय बाबत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से ऋण प्राप्त कर रही हैं। उक्त क्रय एवं ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अंदर मियाद 10 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित संपर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

सरीता बंसल
डी–10, अपोलो अपार्टमेंट
सेक्टर–3, विद्याधरनगर, जयपुर।
मो. 9928014492

पुलकित गर्ग, एडवोकेट, मो. 09828084002
पुलकित गर्ग एंड एसोसिएट्स
एमजेड–4, अलौकिक अलंकार कॉम्पलेक्स,
कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक :– जसअ/2017/301 दिनांकः 13.09.2017

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार नगर निगम जयपुर की सेवा में सेवारत रहते हुये मृतक हुये उनके आश्रित का नियुक्ति देने की कार्यवाही की जानी है। विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	मृतक कर्मचारी का नाम	पद	मृत्यु दिनांक	आश्रित के रूप में नियुक्ति चाहने वाले का नाम	मृतक से सम्बन्ध (आश्रित)
1.	स्व. श्री कल्याण मीणा पुत्र श्री कानाराम मीणा	कनिष्ठ लिपिक	05.06.2015	श्री प्रभुदयाल	पुत्र

इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि मृतक के स्थान पर नियुक्ति चाहने वाले आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर–अन्दर उपायुक्त (कार्मिक) नगर निगम कमरा नं. 106 लालकोठी (मुख्यालय), टोंक रोड़ जयपुर को अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर सकते है।

निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम जयपुर

राज.संवाद/सी/17/4096

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर
क्रमांकःस्टोर/2017/599–610 **संशोधित नीलामी सूचना**

इस चिकित्सालय के नीलामी सूचना आदेश क्रमांक 450–461 दिनांक 26.7.17 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

विवरण	पूर्व निर्धारित नीलामी दिनांक	संशोधित नीलामी दिनांक
अनुपयोगी सामान/मशीनरी/उपकरण/पेपर (रद्दी) अन्य सामग्री	6 सितम्बर, 2017 दोपहर 12.00 बजे से	25 सितम्बर, 2017 दोपहर 12.00 बजे से

डीआईपीआर/सी/10694/2017 **प्रमुख चिकित्सा अधिकारी**

राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर
क्रमांकः व–15 (12) पुविशा/भंडार/नकारा कंप्यूटर/2017–18/662 दिनांकः 7.9.17

संशोधित नीलामी सूचना

इस कार्यालय की नीलामी सूचना पत्र क्रमांक 885–87 दिनांक 27.7.2017 एवं संशोधित नीलामी सूचना क्रमांक 634–37 दिनांक 24.8.17 के द्वारा कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स इत्यादि उपकरणों की नीलामी दिनांक 8.9.2017 को 11.00 ए.एम. की जानी प्रस्तावित है, को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करते हुए आगामी संशोधित नीलामी दिनांक 19.9.2017 को 11.00 ए.एम. की जाती है। नीलामी की शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

NIB CODE CIR1718A0012

पुलिस अधीक्षक
आसूचना राज. जयपुर

डीआईपीआर/सी/10669/2017